बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 338 (मो०) पटना, दिनांकः– 07/03/19

प्रेषक,

के0 के0 पाठक,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

E-Mail

सभी कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, बिहार।

विषयः–**रोस्टर के अनुसार बैठक में भाग लेने के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि मैं प्रत्येक जिले के कार्यपालक अभियंता के साथ रोस्टर के अनुसार बैठक करूँगा। उक्त रोस्टर की सूचना आपको अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 1431 दिनांक 20.02.19 के तहत दी जा चुकी है। उक्त बैठक में सभी एजेंडों पर चर्चा होगी। इससे संबंधित प्रतिवेदन लेते आएँ। जिन महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होगी, वह निम्न प्रकार हैः–

1. बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना
2. पंचायतों को नलकूप हस्तांतरित करनाः–
   (क) कितने नलकूपों को अभी तक पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है।
   (ख) पंचायतों द्वारा उन्हें दी गई कितनी राशि अभी तक व्यय की गई है।
   (ग) जिन पंचायतों की मरम्मति का DPR 15 लाख से अधिक है, उसके संबंध में चर्चा।
3. विद्युत दोष के चलते जो नलकूप खराब हैं, उसके संबंध में मैंने पहले भी लिखा था कि आप विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर स्थिति को समझकर अधोहस्ताक्षरी की बैठक में आयेंगे।
4. फरवरी के अंत एवं मार्च के प्रारंभ में केन्द्रीयकृत तरीके से जो निविदाएँ निष्पादित हुई थी, उनमें Agreement हुआ कि नहीं और Work Order दिया गया कि नहीं ?
   (क) उक्त योजनाओं में कितनी योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है।
5. उपरोक्त योजना के अतिरिक्त पूर्व से चल रहे कार्यरत योजना की प्रगति की समीक्षा।
6. सभी संवेदकों से साप्ताहिक बैठक हो रही है या नहीं ?
7. विभागीय संकल्प संख्या–992 दिनांक 04.02.19 के कंडिका–8 के तहत उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई कि नहीं ? यह बैठक प्रत्येक सप्ताह होनी चाहिए और इसमें विद्युत कंपनी के अभियंता भी शामिल रहें।

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं पर सुविचारित एवं Well prepared Report लेते हुए आये। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि आपके जिलों से संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता भी इस बैठक में उपस्थित हों। इस हेतु प्रबंध निदेशक, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी एवं दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी को अधोहस्ताक्षरी ने पहले ही एक पत्र लिखा है इसकी एक प्रतिलिपि पुनः संलग्न की जाती है।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन

(के0 के0 पाठक)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः— 338 (मो०) पटना, दिनांक— 07/03/19

E-Mail

प्रतिलिपिः—संयुक्त सचिव (श्री प्रकाश एवं श्री कुमार)/उप सचिव (श्री प्रसाद एवं श्रीमति सिंह),/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः— 338 (मो०) पटना, दिनांक— 07/03/19

E-Mail

प्रतिलिपिः—प्रबंध निदेशक, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी, बिहार/ प्रबंध निदेशक, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अपने स्तर से भी विद्युत अभियंताओं को निदेशित करें कि वे इस बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लें।

प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

पत्र सं0 311 (मो0) पटना, दिनांक 01-03-19

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि0।
प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि0।

विषयः– पंचायतों को नलकूप हस्तांतरण करने के सम्बंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि राज्य सरकार ने सभी पंचायतों को राजकीय नलकूपों को सौंपने का निर्णय लिया है। इस क्रम में 9182 नलकूप सौंपा जाना है, जिनमें, यह पत्र लिखने तक 5083 नलकूप पंचायतों को सौपें जा चुके हैं।

मैं उक्त प्रक्रिया का रोस्टवार Review अपने विभागीय कार्यपालक अभियंताओं के साथ करूगॉ। रोस्टर की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

विद्युत कनेक्शन सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। जहॉ तक राजकीय नलकूपों का प्रश्न है, तो मेरा अनुरोध होगा कि मेरे द्वारा की जाने वाली उपरोक्त बैठकों में आपके विभाग के संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता भी मौजूद रहें, ताकि विद्युत दोष का निराकरण Coordinated तरीके से किया जा सके। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूगॉ कि विभाग ने नलकूपों की मरम्मति के लिए 150 करोड़ रूपये स्वीकृत कर दिया है। अतः पंचायतों में नलकूपों की मरम्मति का काम युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया जायेगा।

आपसे अनुरोध है कि आपके जिले के संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता उक्त बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लें, ताकि हम दोनों विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके।

मेरा यह भी सुझाव होगा कि मेरे समक्ष बैठक में आने से पहले आपके विद्युत कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के साथ मिलकर आंकड़ों का मिलान करते हुए आयें।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक 311 (मो0)
पटना, दिनांक 01-03-19

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित। कार्यपालक अभियंताओं से अनुरोध है कि रोस्टर के अनुसार मीटींग में आने से पहले आप विद्युत कार्यपालक अभियंता से मिलकर आंकड़ों की तारतम्यता स्थापित कर लें।

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक 311 (मो0)
पटना, दिनांक 01-03-19

प्रतिलिपिः– सभी उप–विकास आयुक्तों से अनुरोध है कि विभागीय संकल्प 992 दिनांक 04.02.2019 के तहत कंडिका–8 के द्वारा गठित कमिटि के अध्यक्ष के तौर पर आप नलकूपों के चालू होने की स्थिति की साप्ताहिक रूप से समीक्षा करेगें और उसमें विद्युत कम्पनी के अभियंताओं को भी बुलाया जाय।

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग

Letter

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

पत्रांक– 1431 पटना, दिनांक– 20-02-2019

प्रेषक,

के0 के0 पाठक,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, बिहार।

विषयः–रोस्टर के अनुसार बैठक में भाग लेने के संबंध में।

महाशय,

मार्च महीने में मैं प्रत्येक जिले के कार्यपालक अभियंता के साथ निम्नलिखित रोस्टर के अनुसार बैठक करूँगाः–

क्र. सं.	दिनांक	प्रमंडल / जिला का नाम
1	09.03.2019	**पटना प्रमंडल** (पटना, आरा, नालन्दा, बक्सर, कैमूर, रोहतास एवं औरंगाबाद) **मगध प्रमंडल** (गया, जहानाबाद, अरवल एवं नवादा)
2	11.03.2019	**तिरहुत प्रमंडल** (मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर एवं वैशाली)
3	12.03.2019	**सारण प्रमंडल**(छपरा, सीवान एवं गोपालगंज) **दरभंगा प्रमंडल** (दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर)
4	13.03.2019	**मुंगेर** (मुंगेर, शेखपुरा लखीसराय, जमुई, बेगुसराय एवं खगडिया) **भागलपुर प्रमंडल** (भागलपुर एवं बाँका)
5	14.03.2019	**पूर्णिया प्रमंडल** (पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज) **कोशी प्रमंडल** (सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा)

उपरोक्त बैठक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में 11 बजे पूर्वाह्न में होगी।

बैठक में संबंधित मुख्य अभियंता रहेंगे। बैठक में वैसे अधीक्षण अभियंता मौजूद रहेंगे जो कार्यपालक अभियंता के प्रभार में नहीं हैं।

उपरोक्त बैठक में सभी विभागीय एजेंडा पर विचार–विमर्श होगा। इसलिए इससे संबंधित पूरा प्रतिवेदन लेते आएँ। मुख्यतः निम्नलिखित विषय पर चर्चा होगीः–

1. बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना
2. पंचायतों को नलकूप हस्तांतरित करना।
3. पंचायतों का खाता खुलवाकर आवंटन देना।
4. कार्यरत सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना।

विश्वासभाजन

(के0 के0 पाठक)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 1431 पटना, दिनांकः– 20-02-2019

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव / मुख्य अभियंता(यो0+अनु0) / अधीक्षण अभियंता (अनु0) / उप सचिव (श्री प्रसाद एवं श्रीमति सिंह), लघु जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उक्त निदेश के साथ आप भी इस बैठक में सभी प्रतिवेदनों के साथ उपस्थित रहेंगे।

प्रधान सचिव।